

मूल वाद में अन्तिम डिक्री वमुकदमें ईव्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारी:-जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 243 / 2025

1. सूर्यप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 3 दीनगढ़ तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री खण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 8 संतपुरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
हमारे बहाजरी श्री कपिल गोदारा वादी मिन जामिन मुदई श्री प्रवीण बैरड़ वकील
प्रतिवादी 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं वाद वादी में अन्तिम
डिक्री दी जाती है कि वादी का चक नम्बर 1 एनकेआर खाता संख्या 2/2 पत्थर नम्बर
164/142 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 14/0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम कर
रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 13.6.2028 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से
जारी की गई।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया